प्रकरण संख्या : 18/2025
भौरीलाल बनाम राज० सरकार
निर्णय दिनांक : 18.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मूलचन्द लूणिया, (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या : 18/2025
दायर दिनांक : 28.04.2025
निर्णय दिनांक : 18.06.2025

1. भौरीलाल पुत्र पांचूराम जाति बैरवा, निवासी गायत्री नगर दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 969/424 रकबा 0.18 है० वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा में स्थित है। प्रार्थी ने उक्त भूमि का सीमांकन भी करवा लिया है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थी की भूमि की सीमा स्थिति को नहीं मान रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमांकन कराकर पत्थरगढी करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञांन दिनांक 26.06.2024 को किया गया है। उक्त भूमि मौके पर खाली है एवं किसी न्यायालय का स्थगन दर्ज रिकॉर्ड नहीं है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की पुष्टि होती है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गणेशपुरा तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 969/424 रकबा 0.18 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढ़ी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)